प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.07.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

दिनांक 17.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया ने तहरीर दी कि मेरी गली में 02 व्यक्ति स्कूटी को तेज गति से स्कूटी चला रहे टोकने पर अपने साथियों पुरूष- महिलाओं को लेकर आना जिनके द्वारा मेरे साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करना व मेरी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी के साथ भी मारपीट करना जिससे सुरक्षाकर्मी को गम्भीर चोट आ जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-109(1)/110/115(2)/121/132/191(2)/281/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.हर्ष पुत्र सतेन्द्र चौधरी निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2.अंजली चौधरी पत्नी सतेन्द्र चौधरी निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष 3.शालिनी पुत्री सतेन्द्र चौधरी निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 4. साजिद पुत्र युसूफ निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त हर्ष ने बताया कि मैं व साजिद तेज गति से स्कूटी पर गली से होकर जा रहे थे। हमें एक महिला ने टोका जिस पर हमें गुस्सा आ गया और मैं अपने घर से अपने अन्य साथियों को लेकर आया और उस महिला के साथ मारपीट कर दी थी। जब उसे बचाने के लिए उसका सुरक्षाकर्मी आया तो हमने उसके साथ भी मारपीट की थी और फिर मौके से हम भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. हर्ष पुत्र सतेन्द्र चौधरी निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. साजिद पुत्र युसूफ निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

3. अंजली चौधरी पत्नी सतेन्द्र चौधरी निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।
4. शालिनी पुत्री सतेन्द्र चौधरी निवासी सोनू सिटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

आज दिनांक 18.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन प्रहार"** के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त दानिश पुत्र कलुआ निवासी दूधिया पीपल के पास बाबू कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त दानिश ने पूछने पर बताया कि मैं और मेरे साथी मिलकर दिल्ली व अन्य राज्यों से चोरी छिपे अवैध गांजा लेकर आते हैं तथा गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को बेच कर लाभ अर्जित कर लेते हैं। आज मैं अपने साथियों के साथ चोरी छिपे अवैध गांजा लेकर आ रहा था कि पुलिस चेकिंग को देखकर मेरे साथी मुझे गाडी में अकेला छोडकर भाग गये और मुझे पुलिस ने अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

दानिश पुत्र कलुआ निवासी दूधिया पीपल के पास बाबू कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद,उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

05 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त दानिश के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी, थाना कविनगर गाजियाबाद, थाना पिलखुवा जनपद हापुड में विभिन्न आपराधिक घटनाओं के संबंध में **कुल अभियोग-25** अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 100 ग्राम पीली धातु का बिस्किटनुमा टुकड़ा एवं ₹2.50 लाख बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-दिनांक 17.07.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री तपश दास निवासी गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि इंस्टाग्राम पर मार्केट रेट से सस्ता सोना दिलाने का विज्ञापन देखकर उन्होंने संपर्क किया। आरोपियों ने स्वयं को सोना विक्रेता बताते हुए 100 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹11 लाख में देने का झांसा दिया तथा विश्वास दिलाने के लिए पूर्व में 100 ग्राम का बिस्किटनुमा पीली धातु का टुकड़ा दिखाया। दिनांक 03.07.2026 को राजेन्द्र नगर क्षेत्र में सौदा तय होने पर वादी अपने साथियों के साथ नकद ₹11 लाख लेकर पहुंचे। एक आरोपी उनकी कार में बैठा, रुपये गिने और बातचीत के दौरान चालाकी से असली रुपये लेकर बैग बदल दिया। बाद में बैग खोलने पर उसमें **"भारतीय मनोरंजन बैंक"** लिखे नकली नोट मिले। इस प्रकार आरोपियों द्वारा टप्पेबाजी कर वादी से ₹10 लाख की धोखाधड़ी की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। दिनांक 18.07.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस की सहायता से घटना में शामिल **02 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **100 ग्राम पीली धातु का सोने जैसा बिस्किटनुमा टुकड़ा** तथा **₹2,50,000 नकद** बरामद हुए। शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं शेष धनराशि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण:-पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अपने अन्य साथियों **नितेश बंसल, विजय उर्फ राजू, आदित्य दुबे एवं समीर उर्फ शिफारिश** के साथ मिलकर सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को मार्केट रेट से सस्ता सोना दिलाने का लालच देते थे। संपर्क करने वाले व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर पहले उन्हें पीली धातु का बिस्किटनुमा टुकड़ा दिखाकर विश्वास में लेते थे तथा उसे असली सोना बताते थे। सौदा तय होने के बाद नकदी लेने के दौरान बातचीत एवं हेराफेरी कर असली रुपये अपने पास रख लेते थे और बदले में **"भारतीय मनोरंजन बैंक"** लिखे नकली नोटों से भरा बैग या पैकेट पीड़ित को थमा देते थे। पीड़ित के वहां से जाने या उनके मौके से निकल जाने के बाद जब पीड़ित बैग खोलता था, तब तक आरोपी फरार हो चुके होते थे। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वादी से ठगे गए ₹10 लाख को सभी साथियों ने आपस में बांट लिया था। बरामद ₹2.50 लाख उसी रकम का शेष हिस्सा है। बरामद 100 ग्राम पीली धातु का बिस्किटनुमा टुकड़ा लोगों को झांसे में लेने एवं विश्वास दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. **सुशील कुमार** पुत्र स्व. श्री मंगल सिंह, निवासी ग्राम सराय बेरुनी, थाना डिबाई, जनपद बुलन्दशहर, **उम्र करीब 43 वर्ष।**
2. **आदर्श** पुत्र श्री कुबेर सिंह, निवासी जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2, कालिंदी कुंज, दिल्ली, **उम्र करीब 22 वर्ष।**

बरामदगी का विवरणः-

- कुल **₹2,50,000 नकद।**
- घटना में प्रयुक्त **100 ग्राम पीली धातु का सोने जैसा बिस्किटनुमा टुकड़ा।**

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर उक्त प्रकरण पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।